उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–27/2022–23

पवन कुमार पासवान

बनाम्

विपीन कुमार पासवान

–: आदेश :–

दिनांक 25/6/24

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता पवन कुमार पासवान, पे0–विशेश्वर पासवान, सा0–जटामा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के रे0 मि0 केस नं0–16/21–22 (बिपीन कु0 पासवान बनाम् पवन कुमार पासवान वगै0) के आदेश दिनांक–11.04.2022, जिसके द्वारा मौजा–जटामा एवं मौजा–गौतीकित्ता के गोड़ायत पद से अपीलकर्त्ता को मुक्त किया गया है, के विरूद्ध दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपील वादगत जमीन मौजा–जटामा नं0–495, जमाबंदी सं0–22 रकवा 02–00–19 धुर एवं मौजा–गौरीकित्ता नं0–496, जमाबंदी सं0–22 रकवा 02–04–16 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बासु हजरा वल्द चतुरी हजरा के नाम से दर्ज है। वे उक्त ज़मांबंदी पर दखलकार रहे हैं। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी गत जमाबंदी रैयत बासु हजरा के वैध उत्तराधिकारी है। उक्त जमाबंदी जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार गोड़ायत जागीर है एवं गत जमांबंदी रैयत बासु हजरा की मृत्यु के बाद उक्त दोनों मौजा में कोई गोड़ायत नियुक्त नहीं हुआ था। उनका आगे कहना है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2175/रा0 दिनांक–18.06.2019 से गोड़ायत, मानकी मुण्डा आदि सूची के अद्यतन करने के निदेश के आलोक में दिनांक–04.02.2020 को ग्राम पंयायत नयानगर के मुखिया श्री शंभू ठाकुर के अध्यक्षता में मौजा–जटामा एवं ग्राम पंचायत सिनपुर के मुखिया श्रीमति रेखा देवी की अध्यक्षता में मौजा–गौरीकित्ता के गोड़ायत बहाली हेतु ग्राम सभा की गयी, जिसमें ग्रामीणों की सर्व सम्मति से अपीलकर्त्ता पवन कुमार पासवान, पिता–विश्वेसर पासवान को उक्त दोनों मोजा का गोड़ायत चयन किया गया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

ने गलत ढंग से उक्त चयन को रद्द किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–जटामा, जमाबंदी सं0–44 रकवा 02–00–19 धुर एवं मौजा–गौरीकित्ता, जमाबंदी सं0–22 रकवा 02–04–15 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बासु हजरा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

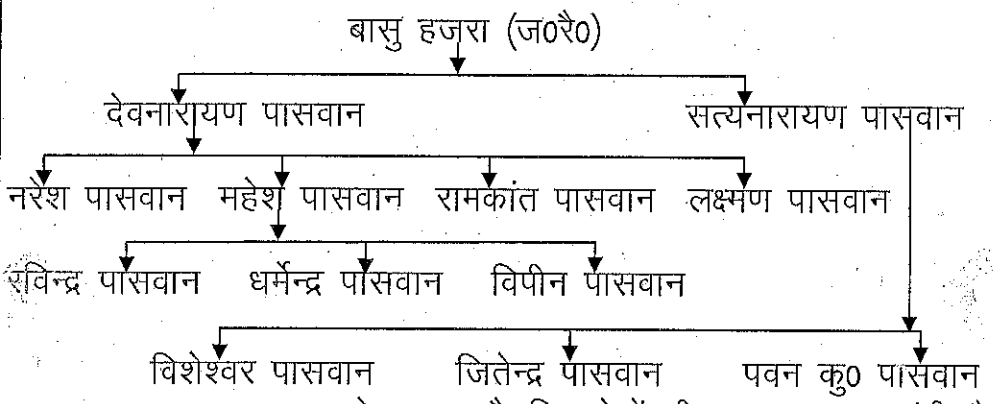

उनका आगे कथन है कि दोनों ही पक्ष गत जमाबंदी रैयत बासु हजरा के वंशज है। अपीलकर्त्ता गत जमाबंदी रैयत के द्वितीय पुत्र सत्यनारायण पासवान के वंशज है एवं उत्तरवादी गत जमाबंदी रैयत पुत्र देवनारायण पासवान के वंशज है। गत जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र देवनारायण पासवान को उक्त दोनों मौजा का गोड़ैत चयन किया गया। देवनारायण पासवान की मृत्यु के बाद महेश पासवान को उक्त दोनों मौजा का गोड़ैत चयन किया गया था एवं महेश पासवान अपनी मृत्यु के पूर्व तक मौजा का गोड़ायत बने रहे। महेश पासवान की मृत्यु के बाद उत्तरवादी विपीन कु0 पासवान को उक्त दोनों मौजा का गोड़ायत होना चाहिए था। लेकिन अपीलकर्त्ता ने दिनांक–04.02.2020 को गोड़ायत पद पाने के लिए कुछ ग्रामीणों का फर्जी हस्ताक्षर से एक कागजात तैयार किया गया। क्योंकि ग्राम सभा बुलाने के लिए न तो कोई सूचना दिया गया था और न ही दिनांक–04.02.2020 को कोई आम सभा हुई थी। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, महागामा ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि अपीलकर्त्ता गत गोड़ायत देवनारायण पासवान के वंश क्रम से नहीं आते है। अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्त्ता को गोड़ायत के पद से चयन मुक्त किया गया है। इस प्रकार अनुमंडल

पदाधिकारी, महागामा को पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–जटामा, थाना नं0–495, जमाबंदी नं0–44 कुल खतियानी रकवा 02–00–19 धुर एवं मौजा–गौरीकित्ता–496 जमाबंदी सं0–22 कुल खतियानी रकवा 02–04–16 धुर किस्म–गोड़ायत जागीरदार जमाबंदी रैयत वाशू हजरा गोड़ायत वल्द चतुरी हजरा कौम दुशाध सा0–गोरीकिता के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। निम्न न्यायालय का निष्कर्ष है कि गोड़ायत पद पर वंशानुक्रम नियुक्ति की जाती है, परन्तु ग्राम–जटामा एवं गौरीकित्ता के मुखिया द्वारा पवन कुमार पासवान को आम सभा के माध्यम से गोड़ायत पद पर बहाल किया गया है। निम्न न्यायालय के साथ संलग्न अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता पवन कुमार पासवान पंजी–2 रैयत देव नारायण हजरा के वंश क्रम में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रे0मि0 केश नं0–16/21–22 आदेश दिनांक–11.04.2022 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 25/06/24

उपायुक्त,
गोड्डा। 25/06/24

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:31:23 +05:30
Location: 192.168.1.54